क्रम संख्या–324

सत्य प्रतिलिपि

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0 –11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड(क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर 2007
कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2359/79–वि0–1–07–1(क)–43–2007
लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन्, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद(संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद(संशोधन) अधिनियम 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2007)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2– (2) यह 7 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 की धारा 4 में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:–

"(क) जनप्रतिनिधियों के मुददों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो उपाध्यक्ष।"

निरसन और अपवाद

3– (1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद(संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा(1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) की धारा 4 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन की व्यवस्था करती है। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद में जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनका प्रतेनिधित्व करने के लिये उनकी नियुक्ति/नाम–निर्देशन का कोई प्राविधान नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु उक्त परिषद में राज्य सरकार द्वारा दो उपाध्यक्षों के नाम–निर्देशन की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद(संशोधन) अध्यादेश, 2007(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै0 मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।